चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व रमजान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 11.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा में वाहनों को देखा तत्पश्चात बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(4). आज दिनाँक 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अधिक संख्या में लम्बित विवेचना से सम्बन्धित समस्त थानों के विवेचकों का का अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में समस्त विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।
अर्दली रूम के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनसुनवाई/आईजीआरएस का कार्य देख रहे समस्त थानों के पुलिस कर्मियों को जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में मीटिंग की गयी । पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि जनसुनवाई/आईजीआरएस पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है । इस पोर्टल पर प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसकी समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है तथा जनपद एवं थाना स्तर पर फीडबैक में सुधार के संबंध में भी निर्देशित किया गया । आईजीआरएस/जनसुनवाई की निस्तारण हेतु शासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है,शासन के द्वारा दिये गये समय के अन्दर आईजीआरएस/जनसुनवाई को पोर्टल पर अपलोड करें ताकि जनपद की स्थिति में सुधार हो । यह आईजीआरएस/जनसुनवाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं के प्रति नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। इस प्रणाली से नागरिकों को उनकी शिकायते दर्ज करने,ट्रैप करने और समाधान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है । यह प्रणाली शासन/पुलिस के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायक है। इस प्रणाली से पुलिस के कार्यशैली में भी काभी बदलाव आया है । इसमें सीएम डैसबोर्ड,डीआईजी,आईडी,डीएम व अन्य कई पोर्टल होते है जिसकी अलग अलग समय शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
इस दौरान आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव एवं पीआरओं श्री प्रवीण कुमार सिंह मौजूद है।

(6). आज दिनाँक 11.03.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थल रामायण मेला सीतापुर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया । जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा सामूहिक विवाह योजना में होने वाली कमियों को दूर करने हेतु व्यवस्थापन एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को सकुशल एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु यातायात पार्किंग एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी/चौकी प्रभारी सीतापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम,क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली,प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 11.03.2025 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चन्द्र निमग एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थल रामायण मेला सीतापुर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को सकुशल एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु यातायात पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी/चौकी प्रभारी सीतापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुषोत तिवारी, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 11.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 636/2011 धारा 279,337,338,427 भादवि0 व 184 एमवी0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र कुंजबिहारी निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिव आसरे एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 11.03.2025 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त लालजी कोल पुत्र रामू कोल निवासी बंधा भीतर थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2015 धारा 279,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दीपक मिश्रा पुत्र कुंजबिहारी निवासी भैसौधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ उमेश पटेल पुत्र रामकृपाल निवासी लवेद मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज थाना मऊ

2.आरक्षी भरत लाल

3.आरक्षी मनीष कुमार